राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: cce.rmsa@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प. / जय / SIQE / फा–60703 / 2018 / 3767 दिनांक : 20 / 7 / 2018

जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि. / प्रा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रमसा / एसएसए, समस्त जिला।

विषय :– सत्र 2018–19 में प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के संबलन हेतु आयोजित किये जाने वाले सैटेलाइट प्रसारण कलेण्डर के कम में।

उपर्युक्त विषय में लेख है कि सत्र 2018–19 में आईसीटी तृतीय चरण, चतुर्थ चरण एवं अरनेट (Arnet) के द्वारा संचालित स्मार्ट क्लास रूम युक्त विद्यालयों में उपलब्ध सैटेलाइट प्रसारण सुविधा व डोंगल के माध्यम से निर्धारित निम्नानुसार एसआईक्यूई विषय पर प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों हेतु सैटैलाइट प्रसारण प्रसारित किया जायेगा –

Month	VC1 Date	Subject	Month	VC 2 Date	Subject
July	24 July 2018	Eng & Maths	July	26 July 2018	Hindi & EVS
September	04 Sep. 2018	Eng & Maths	September	10 Sep. 2018	Hindi & EVS
November	12 Nov. 2018	Eng & Maths	November	15 Nov. 2018	Hindi & EVS
January	09 Jan. 2019	Eng & Maths	January	11 Jan. 2019	Hindi & EVS

इन प्रसारणों में एसआईक्यूई कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां, यथा – विषयवार गतिविधि आधारित शिक्षण के वीडियोज, अभिलेख संधारण, पेनल चर्चा, शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं उपयोग, योगात्मक आकलन आदि प्रसारित की जायेगीं। प्रसारण समय प्रात 10:30 बजे 3:30 बजे तक रहेगा।

अतः आप अपने जिले के राप्रावि. / उप्रावि. / मावि. / राउमावि. में प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों को उपरोक्त तिथियों में निर्धारित समय पर प्रसारण केन्द्रों (पूर्व निर्धारित आईसीटी क्लस्टर विद्यालय) पर उपस्थिति देने हेतु आदेशित करें।

प्रसारण की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही संपादित करें –

1. प्रसारण की जानकारी सभी शिक्षकों तक पहुँच जाये इसके लिए शाला दर्पण के माध्यम से संकलित ई– मेल एवं मोबाईल नं. पर आदेश / सन्देश भेजे साथ ही स्थानीय समाचार पत्रो में लगातार दो – तीन दिन तक खबर प्रकाशित करवाये।
2. इस सत्र से सम्मिलित किये गये चतुर्थ चरण के आईसीटी विद्यालयों की क्लस्टर अनुसार जानकारी शिक्षकों तक पहुँचायें।
3. क्लस्टर संस्थाप्रधानों को (आईसीटी विद्यालय) निर्देशित करें कि वे अपने विद्यालय की कम्प्यूटर लैब में प्रसारण से सम्बन्धित व्यवस्थाएं करें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ यथा शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक रामाशिप. / एसएसए, एसआईक्यूई प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी, सहायक परियोजना समन्वयक (APC) एवं डीएसएफ आदि को किसी केन्द्र पर सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करे।
5. **जिले के सभी शिक्षकों को निर्देशित करे कि अपनी उपस्थित आंवटित वीसी केन्द्र पर ही शतप्रतिशत देवें तथा उनको अवगत करावें कि किसी मोबाईल या अन्य निजी उपकरणों के माध्यम से निर्धारित वीसी केन्द्र के अन्यत्र सम्मिलित हो रहे है तो उनकी उपस्थिति मान्य नही होगी और उनके विरूद्व विभागीय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव परिषद् को भेजे।**

www.rajteachers.com

6. जिले की डाइट के स्टाफ को भी डाइट के समीपस्थ प्रसारण केन्द्र पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
7. तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण के समस्त आईसीटी विद्यालयों में प्रसारण अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से देखा व सुना जा सके इसके लिए जिले में कम्प्यूटर सेवाप्रदाता एजेन्सी की ओर से कार्यरत जिला समन्वयक एवं विद्यालय समन्वयकों (प्रत्येक 5 विद्यालयों पर एक) की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर उपकरणों (टी.वी, ऐन्टीना, इन्टरनेट कनेक्शन) की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
8. प्रसारण के दौरान शिक्षक अपने प्रश्न स्टूडियों के दूरभाष नम्बर 0141—2770126, 2770045 पर पूछताछ कर सकते है। अतः सभी केन्द्रों पर स्टूडियो दूरभाष नम्बर की जानकारी प्रदान करें।
9. **वी.सी में भाग लेने वाले शिक्षक कार्यशाला में विचार — विमर्श किये गये विषयों का प्रतिवेदन तैयार कर अपने पदस्थापन वाले विद्यालय के संस्था प्रधान को प्रेषित करेगें एवं संस्थाप्रधान इसका रिकार्ड संधारित करगें।**
10. प्रसारण केन्द्रों वाले आईसीटी विद्यालयों के संस्थाप्रधान अपने केन्द्र में उपस्थित होने वाले संभागियों की उपस्थिति रमसा के जिला कार्यालय में उसी दिन प्रेषित करेंगे।
11. रमसा जिला कार्यालय से जिले की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति की समेकित सूचना सैटेलाइट प्रसारण के दूसरे दिन ही **राज्य मुख्यालय की आईसीटी शाखा एवं एसआईक्यूई शाखा पर** भिजवाना सुनिश्चित करे।

यह गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों को **एसआईक्यूई परियोजना के अन्तर्गत सीसीई, सीसीपी एवं एबीएल प्रकियाओं का प्रशिक्षण देने के कम में आयोजित की जा रही है। अतः इस प्रयास को सफल बनायें।**

www.rajteachers.com

(डॉ. प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त — द्वितीय

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एव भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समसा. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को देकर निवेदन है कि उक्तानुसार निर्देश जारी करावें।
5. निदेशक, एसआईईआरटी. उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समसा, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिला।
8. उपनिदेशक, आईसीटी, समसा. जयपुर।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप. / राप्राशिप. को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार निर्धारित तिथि को आयोजित वी.सी में विषयानुसार शिक्षकों को आईसीटी तृतीय एवं चतुर्थ चरण के विद्यालयों में भाग लेने हेतु आदेशित करते हुए शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करवायें।
10. प्रतिनिधि यूनिसेफ, जयपुर।
11. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर को देकर लेख है कि प्रसारण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें
12. एसआईक्यूई नोडल प्रभारी, निदेशालय माशि. / प्राशि. राजस्थान, बीकानेर।
13. संस्था प्रधान / पीईओ समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय कि उक्तानुसार निर्धारित तिथि को आयोजित वी.सी में विषयानुसार शिक्षकों को आईसीटी तृतीय एवं चतुर्थ चरण के विद्यालयों में भाग लेने हेतु आदेशित करते हुए शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करवाये।
14. कॉम्प्यूकॉम प्रा.लि. एवं आई एण्ड एलएफ, को प्रेषित कर लेख है कि आईसीटी तृतीय एवं चतुर्थ चरण विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण प्रसारण सुनिश्चित करें तथा उक्त **दिनांकों** को स्टूडियों मे गुणवत्तापूर्ण प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैब साईट पर अपलोड कार्यवाही हेतु।
16. प्रभारी, शाला दर्पण / शाला दर्शन समसा. जयपुर।
17. कार्यालय प्रति।

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक (SIQE)

D:\d drive\ICT/ICT Letter